संख्या–भा0स0 14 /43–2–10–15/2(3)/07टीसी–।।

प्रेषक,

अनीता सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 10 जून, 2010

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत पर व्यक्ति (Third Party) की सूचना का प्रकटन।

महोदय,

आप अवगत है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में यह प्राविधान है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके भाग को मॉगता है जो किसी पर व्यक्ति (Third Party) से संबंधित है अथवा उसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है और पर व्यक्ति (Third Party) ने ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तो जन सूचना अधिकारी ऐसी सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त होने के 5 दिन के अन्दर उस पर व्यक्ति (Third Party) को लिखित रूप में नोटिस देगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट किया जाना चाहिये या नहीं तथा लिखित रूप में या मौखिक रूप अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए पर व्यक्ति (Third Party) को आमंत्रित करेगा। पर व्यक्ति(Third Party) को जन सूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्व विभागीय अपीलीय अधिकारी के पास अपील करने का अधिकार है और यदि वह विभागीय अपीलीय अधिकारी के निर्णय से सन्तुष्ट नही है तो राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पास दूसरी अपील करने का अधिकार है।

2– भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या–8/2/2010–आई0आर0,दिनांक 27 अप्रैल, 2010 (प्रतिलिपि संलग्न) में यह निर्देश जारी किये गये है कि जब तक अधिनियम की धारा–11 में निर्धारित कार्यविधि पूरी नहीं कर ली जाती जन सूचना अधिकारी ऐसी सूचना का प्रकटन नही कर सकता है।

अतः मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि उक्त विवरण को अपने अधीनस्थ समस्त लोक प्राधिकरणों के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अनीता सिंह)
सचिव।